फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शंकर बनाम लोभचन्द (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा पत्र 111-128 नं० 115 सन 2020

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-7-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
25-8-20	प्रकरण पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर / अवकाश पर है / [illegible] अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15-9-20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]।	

[signature / stamp: उपखण्ड अधिकारी, माण्डल भीलवाड़ा]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.29 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 115/20 प्रा.पत्र

1– श्री शंकर S/o श्री भगवान जाट निवासी- बाघ्या की खेड़ी त० माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री मोहनलाल S/o श्री भागीरथ जाट निवासी- बाघ्या की खेड़ी तहसील-माण्डल (कुल 4)
(मुताबिक प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर I व बाघ्या की खेड़ी पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न. 7212/2482, 2469, 2474 कुल किता 03 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.07.20 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कास्त कास्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर I व बाघ्या की खेड़ी पटवार हल्का बागोर I II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 7212/2482, 2469, 2474 कुल किता 03 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर 750 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा ... पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.29 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner